

अनुदान संख्या 67 - पंचायती राज मंत्रालय
GRANT No. 67-MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	4770,50,00		
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1081,53,07

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services			
मू.	O.	750.00		
पु.	R.	169.93	919.93	916.90
				-3.03
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programme			
मू.	O.	8300.00		
पू.	S.	2.00	8229.00	8181.52
पु.	R.	-73.00		-47.48
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	1000.00		
पु.	R.	-1000.00

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	467000.00		
			359750.00	359749.52
पु.	R.	-107250.00		-0.48

(I) 1001.00 लाख रु. का प्रावधान (नवंबर, 2007 में एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2515" - "पंचायती राज - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना" के अंतर्गत 2135.64 लाख रु. की बचत (6790.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) युवा एवं महिला शक्ति अभियान, जन प्रचार माध्यम और प्रचार, अनुसंधान अध्ययन और ग्रामीण व्यापार केंद्र स्कीम को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज - पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान" के अंतर्गत 107250.48 लाख रु. की बचत (467000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने

(I) Provision of Rs.1001.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head obtained in November, 2007) remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Other Rural Development Programmes - Panchayati Raj - Rashtriya Gram Swaraj Yojana" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Rashtriya Gram Swaraj Yojana" - saving of Rs.2135.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6790.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds to Yuva Evam Mahila Shakti Abhiyan, Media and Publicity, Research Studies and Rural Business Hub Scheme and non-receipt of viable proposal from States/Union Territories.

(III) Under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Other Rural Development Programme - Panchayati Raj - Grants for Backward Regions" - saving of Rs.107250.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.467000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to slow pace of expenditure.

2.(I) The above savings were partly (Rs.2069.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by

के लिए आंशिक रूप से (2069.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2515" - "पंचायती राज" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "जन प्रचार माध्यम और प्रचार"- 1336.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1353.12 लाख रु. था।

(खा) "पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान"- 247.46 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 201.99 लाख रु. था।

(गा) "ग्रामीण व्यापार केंद्र"- 176.34 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 160.40 लाख रु. था।

(घा) "कार्रवाई अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन"- 309.20 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 306.45 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष '3451' - "सचिवालय - पंचायती राज मंत्रालय" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 166.90 लाख रु. का अधिक व्यय (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछड़ा क्षेत्रा अनुदान निधि स्कीम के कार्यक्रम प्रबंधन प्रकोष्ठ के संबंध में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in August, 2007 under Major Head "2515" - "Panchayati Raj" - under the following heads:-

(A) "Media and Publicity" - Rs.1336.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1353.12 lakhs.

(B) "Panchayat Mahila Evam Yuva Shakti Abhiyan" - Rs.247.46 lakhs. Actual excess, however, was Rs.201.99 lakhs.

(C) "Rural Business Hubs" - Rs.176.34 lakhs. Actual excess, however, was Rs.160.40 lakhs.

(D) "Action Research and Research Studies" - Rs.309.20 lakhs. Actual excess, however, was Rs.306.45 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Panchayati Raj" - excess of Rs.166.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Programme Management Cell of Backward Region Grant Fund Scheme.